

भारत सरकार BHARAT SARKAR  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

No. 2008/RS(G)/779/10

New Delhi, dated: 15.01.2013

The General Manager, All Indian Railways & PUs including NF(C)  
The General Manager, CORE, Allahabad  
The General Manager, Metro Railway, Kolkata  
The Director General, RDSO, Lucknow & Railway Staff College, Vadodara  
CAO/Workshop Projects organization, Patna  
CAO/DMW, Patiala and COFMOW, New Delhi  
CAO/RCF/RBL/Old TA Building, Kishan Ganj, New Delhi.

**Sub: Placement of rate contract for GM Loco spares.**

**Ref: Board's letter No. 2008/RS(G)/779/10 dated 21.10.2008, 20.11.2008, 29.9.2009 and 17.2.2010**

Vide above referred letters, DLW centrally procures certain items of GM locos for all Zonal Railways for which list is issued by DLW. Items other than these are procured by Zonal Railways themselves. Owing to small requirements of respective Zonal Railways, difficulties were expressed by Zonal Railways in procurement items which are not included in the list of items issued by DLW,.

In view of above, it is decided that the following nominated Zonal Railway will place rate contract for items other than the items being centrally procured by DLW:

	Nominated Railway for centralized procurement	Railways for which centralized procurement shall be done
1.	Western Railway	WR, SWR, SCR, CR, SR
2.	Eastern Railway	ER, NFR, SER, ECoR, ECR, SECR
3.	Northern Railway	NR, NCR, NWR, WCR, NER,

Zonal Railways shall submit their estimated requirements (unvetted) to their respective nominated railways as per the schedule given by nominated Railways. The estimated requirement should be accurate as far as possible. Nominated Railways shall enter into rate contract for these items based on estimated requirements submitted to them. Against the rate contracts finalized by respective nominated Railways, the supply orders will be placed by nominated/Zonal Railways as per vetted demands as per extant rules/delegation of powers.

The system will be reviewed after two years.

This is issued with the concurrence of Finance Dte. of Ministry of Railways.

*Santosh Mittal*  
(Santosh Mittal)  
Dy. Director Railway Stores (G)  
Railway Board

## Copy to:

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. CMEs, CEEs, CSTE, All Indian Railways & Production Units
4. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
5. The Director of Audit, All Indian Railways

*ASM*  
14-01-2013

**for Financial Commissioner/Railways**

**No. 2008/RS(G)/779/10**

**New Delhi, dated 15.01.2013**

## Copy to:

1. The COSs, All Indian Railways & PUs including NF(C)
2. The COS, Metro Railway, Kolkata
3. The COS, COFMOW, New Delhi
4. The COS, CORE, Allahabad
5. CMM/RCF/RBL, Kishanganj, Delhi
6. COS, Workshops Project Organisation, Patna
7. The Directors-
  - a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
  - b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
  - c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
  - d. Sr. Prof. (Material Management), Railway Staff College, Vadodara
  - e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
  - f. Indian Railway Institute of Logistics & Materials Management, IDA House, Sector IV, R.K.Puram, New Delhi
8. Chairman, Railway Rates Tribunal, Chennai.
9. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
10. Executive Director (Stores), RDSO, Manak Nagar, Lucknow
11. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
12. Zonal Railway Training Institute, Sukuadia Circle, Udaipur-313004

*Santosh Mittal*

**(Santosh Mittal)**

**Dy. Director Railway Stores (G)  
Railway Board**

**No. 2008/RS(G)/779/10**

**New Delhi, dated 15.01.2013**

## Copy to :

1. The General Secretary , AIRF, 4 State Entry Road , New Delhi.
2. The General Secretary , NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi.
3. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi.
5. The Secretary General, AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi

*Santosh Mittal*

**(Santosh Mittal)**

**Dy. Director Railway Stores (G)  
Railway Board**

## Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

- (i) MR, MOS(R)(A), MOS(R)(K)
- (ii) CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
- (iii) All AMs and Advisors of Railway Board
- (iv) All Executive Directors of Railway Board
- (v) All Directors of Elect., Engg., Finance, Mech., Stores, Signal & Telecom Dte. &
- (vi) All Branches of Elect., Engg., Finance, Mechanical, Stores, Signal & Telecom Dte.

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2008/आरएस(जी)/779/10

नई दिल्ली, दिनांक 15.01.2013

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा(निर्माण) सहित ।

महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद।

महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता।

महानिदेशक, अ.अ.मा.स. लखनऊ एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ वर्कशाप परियोजना संगठन, पटना।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ डीजल आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला एवं कॉफमो, नई दिल्ली।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ रेल कोच फैक्टरी/आरबीएल/पुरानी टी ए बिल्डिंग, किशन गंज, नई दिल्ली।

**विषय:- जीएम लोको स्पेयर्स के लिए दर संविदा प्रस्तुत करना।**

**संदर्भ:-** बोर्ड के दिनांक 21.10.2008, 20.11.2008, 29.09.2009 तथा 17.02.2010 का पत्र संख्या 2008/आरएस(जी)/779/10.

उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्रों के तहत डीजल रेल इंजन कारखाना सभी क्षेत्रीय रेलों के लिए जीएम लोको की उन कतिपय मर्दों की खरीद केंद्रीकृत रूप से करता है जिनके लिए डीजल रेल इंजन कारखाना द्वारा सूची जारी की जाती है। इन मर्दों से इतर मर्दों की खरीद स्वयं क्षेत्रीय रेलों द्वारा ही की जाती है। क्षेत्रीय रेलों द्वारा उन मर्दों की खरीद में कठिनाई व्यक्त की जाती है जिनकी संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा कम आवश्यकता होने के कारण जिन्हे डीजल रेल इंजन कारखाना द्वारा जारी मर्दों की सूची में शामिल नहीं किया जाता है।

उपर्युक्त को देखते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित नामित क्षेत्रीय रेलें, डीजल रेल इंजन कारखाना द्वारा केंद्रीकृत रूप से खरीदी जा रही मर्दों से इतर मर्दों के लिए दर संविदा प्रस्तुत करेंगी।

	केन्द्रीकृत खरीद के लिये नामित रेलवे	रेलें जिनके लिए केन्द्रीकृत खरीद की जाएगी।
1.	पश्चिम रेलवे	पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे
2.	पूर्व रेलवे	पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे पूर्व तटीय रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
3.	उत्तर रेलवे	उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे

क्षेत्रीय रेलों द्वारा अपनी संबंधित नामित रेलों को नामित रेलों द्वारा दी गयी अनुसूची के अनुसार अपनी अनुमानित आवश्यकता (बिना विधिकृत) प्रस्तुत की जाएगी। अनुमानित आवश्यकता जहां तक संभव हो सही होनी चाहिए। नामित रेलें उनको प्रस्तुत की गई अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर इन मर्दों के लिए दर संविदा प्रस्तुत करेंगी। संबंधित नामित रेलों द्वारा अंतिम रूप दी गई दर संविदाओं के लिए नामित/क्षेत्रीय रेलों द्वारा मौजूदा नियमों/शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार विधिकृत/ ~~बिना विधिकृत~~ मांग के अनुसार सप्लाई आर्डर दिया जाएगा।

इस प्रणाली की समीक्षा दो वर्ष बाद की जाएगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संतोष मित्तल  
(संतोष मित्तल)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।

रेलवे बोर्ड

सं. 2008/आरएस(जी)/779/10

नई दिल्ली, दिनांक 15 .01.2013

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां ।
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/आरबीएल, कॉफमो, डीएमडब्ल्यू ।
3. सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
4. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें।

31211क  
14-01-2013  
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 2008/आरएस(जी)/779/10

नई दिल्ली, दिनांक 15 .01.2013

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीओएस/सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण) सहित ।
2. सीओएस/मेट्रो रेल कोलकाता ।
3. सीओएस/ कॉफमो, नई दिल्ली।
4. सीओएस/ कोर, इलाहाबाद।
5. सीएमएम/आरसीएफ/आरबीएल, किशनगंज, दिल्ली।
6. सीओएस/वर्कशॉप परियोजना संगठन, पटना।
7. निदेशक-
  - क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिंकदराबाद।
  - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर।
  - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
  - घ. वरिष्ठ प्रो. ( सामग्री प्रबंधन), रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
  - ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे।
  - च. भारतीय रेल लॉजिस्टिक एवं सामग्री प्रबंधन, आईडीए हाउस, सेक्टर-4, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
8. अध्यक्ष, रेल दर अधिकरण, चैन्नई ।
9. निदेशक, लोह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
10. कार्यापालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.स., मानक नगर, लखनऊ।
11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
12. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुखाडिया सर्किल, उदयपुर- 313004

संतोष मित्तल  
(संतोष मित्तल)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।

रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 15 .01.2013

सं. 2008/आरएस(जी)/779/10

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, एआईआरफ, 4 स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. महासचिव, फ़ोआ, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. महासचिव, एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली।

संतोष मित्तल  
(संतोष मित्तल)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।

रेलवे बोर्ड